कार्यालय कलेक्टर, जिला–कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

क्र. / 10622 /भू–अर्जन/2022, कोरबा, दिनांक 15/09/2022

——:: अधिसूचना ::——

(भू–अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के अंतर्गत)

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के लिए कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–11 के उपबंधो के अनुसार अधिग्रहण हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 13636/भू–अर्जन/2020/कोरबा दिनांक 05/10/2020 को प्रारंभिक अधिसूचना जारी किया गया था जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 01/01/2021 को कि गया गया था। क्योकि पूरे प्रदेश में कोरोना वायरस (Covid–19) महामारी फैलने के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया था जिसके रोक थाम हेतु पुरे प्रदेश में लाक डाउन किये जाने के फलस्वरूप भू–अर्जन प्रकरण प्राप्त आपत्तियों की निराकरण किये जाने में विलम्ब होने के कारण दिनांक 01/01/2022 तक अंतिम अधिसूचना (धारा–19) नहीं किया जा सका अत्ऐव उक्त अधिनियम की धारा 19(7) में वर्णित प्रावधान एवं प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार बारह मास वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

ग्राम –कथरीमाल, प.ह.न.–01, तहसील–बरपाली, जिला–कोरबा छ.ग.						
भूमि का विवरण					धारा 12 प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रायोजन का विवरण
जिला	तहसील	भूमि का प्रकार ग्राम/प.ह.न.	कुल ख.न.	कुल क्षेत्रफल (हे. में.)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	बरपाली	कथरीमाल/01	51	2.219	कार्यपालन अभियंता जल संसाधन संभाग, कोरबा	तेन्दुवाही व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर निर्माण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर,
जिला–कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू अर्जन अधिकारी
कोरबा, जिला–कोरबा

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उप संभाग
क्रमांक 1, कटघोरा